अध्याय–1

वर्ष 2012–13 एक नजर में

1. प्रस्तावना

1.1 कोयला मंत्रालय श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री और श्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री के पास था।

1.2 कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने एवं उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल)और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एलएलसी) लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

1.3 **भारत में कोयला भंडार**

भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार भारत में 1200 मीटर की गहराई तक कोयले का भंडार 293.497 बिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। कोयला भंडार मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं।

1.4 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार देश में लिग्नाइट भंडारों का अनुमान लगभग 41.96 बिलियन टन लगाया गया है। लिग्नाइट भंडारों का प्रमुख निक्षेप तमिलनाडु राज्य में हैं। अन्य राज्य जहां लिग्नाइट के भंडार स्थित हैं, वे राजस्थान, गुजरात, केरल, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र पुद्दूचेरी हैं।

2. कोयला उत्पादन

अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान सम्पूर्ण भारत में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 364.12 मि. टन (एमटी) की तुलना में 384.19 मि.टन (अनंतिम) हुआ है, जो 5.5 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। सीआईएल/एससीसीएल/ अन्यों से कोयला उत्पादन के कंपनी–वार ब्यौरा निम्नवत हैं:

(मि.टन में)

कंपनी	2012-13 लक्ष्य	दिसंबर, 2012 तक वास्तविक	उपलब्धि (%)	2011–12 दिस. 2011 तक वास्तविक	वृद्धि (%)
सीआईएल	464.10	308.89	66.60	291.24	6.06
एससीसीएल	54.00	37.18	68.90	35.26	5.45
अन्य*	57.20	38.12	66.60	37.62	1.33
कुल	575.30	384.19	66.80	364.12	5.51

* मेघालय को छोड़कर

3 कोयले का प्रेषण

अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान सीआईएल से कोयले का प्रेषण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 310.48 मि.टन की तुलना में 334.64 मि.टन (अनंतिम) था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.8% की वृद्धि को दर्शाता है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 के दौरान, एससीसीएल ने 36.06 मि.ट. की तुलना में 38.47 मि.ट. कोयले का प्रेषण किया है।

कंपनी–वार कच्चे कोयले का प्रेषण (मि.टन में)

कंपनी	अप्रैल, 2012–दिसम्बर, 2012			अप्रैल, 2011–दिस., 2011	% वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	% उपलब्धि	वास्तविक	
सीआईएल	339.87	334.64	98.5	310.48	7.8
एससीसीएल	40.38	38.47	95.27	36.06	6.68

क्षेत्रवार कच्चे कोयले का प्रेषण (अनंतिम) (मि.टन में)

क्षेत्र	अप्रैल, 2012–दिस., 2012	अप्रैल, 2011–दिसम्बर, 2011 ***	अप्रैल, 2011–दिसम्बर, 2011 की तुलना में अप्रैल, 2012–दिसम्बर, 2012 में % वृद्धि
ईस्पात *	6.68	6.25	6.9%
विद्युत (उपयोगिता) **	246.40	222.17	10.9%
विद्युत (केप्टिव) #	25.04	24.07	4.0%
सीमेंट	4.92	5.30	-7.2%
उर्वरक	1.94	2.05	-5.4%
अन्य	49.66	50.64	-1.9%
सीआईएल	334.64	310.48	7.8%

* वाशरियों को कोकिंग कोयला आपूर्ति, इस्पात संयंत्रों, कोक ओवन, निजी कोकरीज को मिश्रण योग्य सीधी आपूर्ति तथा कोकरीज को एन एल डब्ल्यू कोयला शामिल है।

** परिष्करण के लिए वाशरी तथा बीना डिशालिंग संयंत्रों को नान–कोकिंग कोयले की आपूर्ति शामिल है।

*** अद्यतकृत ठोस आंकड़ा

क्षेत्रवार कच्चे कोयले का प्रेषण (अनंतिम)–एससीसीएल (मि.टन में)

क्षेत्र	अप्रैल, 2012–दिसम्बर, 2012	अप्रैल, 2011–दिसम्बर, 2011	(%) वृद्धि
विद्युत (उपयोगिता एवं सीपीपी)	30.13	27.63	9.05
ईस्पात (स्पांज ऑयरन)	0.48	0.77	- 37.66
सीमेंट	4.30	4.15	3.61
उर्वरक	-	-	-
अन्य	3.56	3.51	1.42
कुल : एससीसीएल	**38.47**	**36.06**	**6.68**

कोयले की आपूर्तिः– 2011–12 के दौरान कच्चे कोयले की वास्तविक आपूर्ति/उठान, आपूर्ति योजना 2012–13 और 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक वास्तविक कोयला आपूर्ति नीचे दी गई हैः–

(मि.टन में)

स्रोत्र	2010-11 वास्तविक	2011-12 (ब.अ.)	2011-12 वास्तविक	2012-13 (ब.अ.)	2012-2013 (ब.अ.) दिस. तक	2012-13 वास्तविक दिस. 2012 तक
सीआईएल	424.3	452.00	433.08	470.00	340.28	334.97

वर्ष 2012–13 (अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक) एससीसीएल ने 40.38 मि0ट0 के लक्ष्य की तुलना में 38.47 मि0ट0 की आपूर्ति की । एससीसीएल ने पिछले वर्ष 2011–12 की इसी अवधि के दौरान 36.06 मि0ट0 आपूर्ति की थी ।

4. लिग्नाइट उत्पादन

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) तापीय विद्युत स्टेशनों से सम्बद्ध ओपनकास्ट लिग्नाइट खानों वाली एक एकीकृत खनन तथा विद्युत परियोजना है। अप्रैल से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिग्नाइट उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन की उपलब्धि उस अवधि के लिए 17.85 मि.ट. तथा 13257 मि.यूनिट के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 18.51 मि.टन तथा 14323.89 मि.यूनिट थी।

वर्ष 2012–13 के लिए लक्ष्य दिसम्बर, 2012 के अंत तक वास्तविक तथा जनवरी, 2013 से मार्च 2013 की अवधि के लिए अनंतिम निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

उत्पाद	वास्तविक 2011-12	2012–13 के लिए लक्ष्य	अप्रैल से दिसंबर 2012 उपलब्धि
लिग्नाइट मि. टन	24.59	24.80	18.51
विद्युत उत्पादन मि. यूनिट	18789.44	18600.00	14323.89

5. कोयला ब्लॉकों का आवंटन

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पात्र सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों को 50 बिलियन टन के भू–गर्भीय भण्डार वाले 218 कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली/यूएमपीपी पर आवंटित सरकारी/निजी एवं विद्युत परियोजनाओं को आवंटित कोयला ब्लॉकों की क्षेत्रवार संख्या नीचे दी गई है :–

क्र. सं.	क्षेत्र	सरकारी कंपनियों को	निजी कंपनियों को	यू.एम.पी.पी./शुल्क आधारित बोली	कुल ब्लॉक
		ब्लॉकों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	
1.	विद्युत	55	28	12	**95**
2.	वाणिज्यिक खनन	41*	-	-	**41**
3.	लौह एवं इस्पात	4	65	-	**69**
4.	सीमेंट	-	8	-	**8**
5.	लघु एवं अलग–अलग	-	3	-	**3**
6.	सीटीएल (कोयला से द्रव)	-	2	-	**2**
कुल		**100**	**106**	**12**	**218**

* विजय सेन्ट्रल कोयला ब्लॉक लीडर के रूप में कोल इंडिया लि. को और एसोसिएट के रूप में एसकेएस इस्पात एवं पावर लि. को आवंटित। अतः सरकारी श्रेणी में लिया गया।

218 आवंटित ब्लाकों में से, आदिनांक 47 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द किया गया था । आवंटन रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों में से, दो कोयला ब्लाकों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पात्र कंपनियों को आवंटित किए गए थे तथा मै0 राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को तीन कोयला ब्लॉकों तथा दामोदर घाटी निगम एवं झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को दो कोयला ब्लॉकों के संबंध में आवंटन रद्द करने संबंधी पत्रों को वापस ले लिया गया । उपर्युक्त को देखते हुए, निवल आवंटित ब्लॉक 178 हैं जिनमें लगभग 40 बिलियन टन भूगर्भीय भंडार हैं ।

वर्ष 2012–13 के दौरान (31 दिसम्बर, 2012 तक), किसी नए कोयला ब्लॉक का आबंटन किसी कंपनी को नहीं किया गया ।

6. कोयला और लिग्नाइट परियोजनाएं

वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक स्वीकृत परियोजनाएं :–

(i) **सीआईएलः** सीआईएल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उपक्रम है (सीपीएसयू) है । अप्रैल–दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान, सीआईएल ने लागत जमा आधार पर 1055.05 करोड़ रू0 की पूंजीगत लागत से 8 एमटीपीए की क्षमता के लिए ईसीएल की सोनपुर बाजारी कांटिन्यूड सीम ओसी तथा 1176.13 करोड़ रू0 की पूंजीगत लागत से 3 एमटीपीए की क्षमता के लिए डब्ल्यूसीएल में चिनचला–चिककगांव मिश्रित ओसी नामक दो परियोजनाएं मंजूर की हैं ।

(ii) **एनएलसीः** एनएलसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न उपक्रम (सीपीएसयू) है। वर्ष 2012–13 के दौरान, किसी परियोजना को मंजूर नहीं किया गया ।

(iii) **एससीसीएलः** सरकार द्वारा अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि एससीसीएल की कोई परियोजनाएं मंजूर नहीं की गईं । उसी अवधि के दौरान, दो नई परियोजनाओं अर्थात (1) आरजीओसी।। विस्तार, चरण।। तथा (2) केके ओसीपी कि क्रमशः 2.00 एमटीपीए तथा 1.75 एमटीपीए की क्षमता तथा 365.01 करोड़ रू0 तथा 417.33 करोड़ रू0 की पूंजी से एससीसीएल बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया । एक आरएफआर नामतः मानगुरू ओसीपी आरएफआर उपर्युक्त अवधि के दौरान 1.50 एमटीपीए तथा 430.14 करोड़ रू0 की पूंजी से एससीसीएल बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया ।

7. प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

(क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रणाली लागू करने के लिए 9 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम में प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट धारी क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा ऐसी शर्तों, जिन्हें निर्धारित किया जाए, पर देने का प्रावधान करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, यह निम्नलिखित मामलें में लागू नहीं होगा–

- जहां इस प्रकार के क्षेत्र का खनन अथवा इस प्रकार के अन्य विशिष्ट अन्त्य प्रयोग के लिए सरकारी कंपनी अथवा निगम को आवंटन करने पर विचार किया जाता हो;
- जहां इस प्रकार के क्षेत्र का किसी कंपनी अथवा निगम जिसे शुल्क (अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं) के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोलियों के आधार पर किसी विद्युत परियोजना को दिया गया है, को आवंटन करने पर विचार किया जाता हो।

" कोयला खानों की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी नियमावली 2012 " 2.2.2012 को अधिसूचित कर दिया गया था तथा संशोधन अधिनियम के आरंभ होने को 13.2.2012 को अधिसूचित किया गया है।

(ख): इस नियमावली में विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत अर्थात सरकारी कंपनियों को नीलामी के माध्यम से तथा विद्युत क्षेत्र में शुल्क आधारित बोली के माध्यम से चयनित कंपनियों को ब्लाकों के आबंटन की प्रक्रिया निर्धारित है । इस नियमावली में नीलामी किए जाने के लिए खानों के वास्ते फ्लोर प्राइस अधिसूचित करने तथा विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत आबंटित किए जाने वाले ब्लाकों के लिए रिजर्व प्राइसा निर्धारित करने का प्रावधान है । इस नियमावली में यह भी प्रावधान है कि सरकार आबंटिती कंपनी के साथ करार करेगी ।

(ग): मैसर्स क्रिसिल अवसंचरना सलाहकार को परामर्शदाता के रूप में निम्नलिखित के लिए नियुक्त किया गया था :

1. कैप्टिव कोयला ब्लाकों के लिए फ्लोर प्राइस /रिजर्व प्राइस टैग की गणना हेतु पद्धति का सुझाव देना ।
2. सफल कोयला ब्लाक आबंटिती के चयन के लिए माडल निविदा दस्तावेज तैयार करना ।
3. कोयला मंत्रालय तथा सफल कोयला ब्लाक आबंटिती के बीच माडल करार बनाना ।

मैसर्स क्रिसिल ने एक प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिस पर विचार विमर्श योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ किया जा रहा है ।

(घ): सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए विस्तृत शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है । कोयला खानों की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी (संशोधन) नियमावली, 2012 को 27.12.2012 को अधिसूचित किया गया था । तत्पश्चात कोयला मंत्रालय ने 17 कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए 31.12.2012 को आवेदन आमंत्रित करते हुए सूचना (एनआईए)

जारी किया है । प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

8. कोयला क्षेत्र के लिए नियामक

एक कोयला नियामक प्राधिकार स्थापित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा 10.5.2012 को संपन्न इसकी बैठक में विचार किया गया था जिसमें इस मामले को मंत्री समूह (जीओएम) को भेजने का निर्णय लिया गया था । यह मामला मंत्री समूह के विचाराधीन है ।

9. कोयला खानों में सुरक्षा से सम्बद्ध स्थायी समिति

कोयला मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खानों में सुरक्षा से सम्बद्ध एक स्थायी समिति मंत्रालय में कार्यरत है जिसमें श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि, खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस), धनबाद, अध्यक्ष, सीआईएल और सीआईएल की सहायक कंपनियों के सीएमडी, एससीसीएल, एनएलसी, इस्को, डीवीसी, राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों, निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेता इस समिति के सदस्य हैं।

यह समिति कोयला खानों में सुरक्षा के सभी पहलुओं की गहन–जांच करती है और आगे सुधार करने के लिए सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेती है। यह भारत में कोयला खानों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सबसे उच्च त्रिपक्षीय सुरक्षा मानीटरिंग समिति है। इस समिति की बैठकें समय–समय पर होती हैं और अब तक इस समिति की 36 बैठकें हो चुकी हैं।

कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति की 36वीं बैठक 23.05.2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस समिति ने पूर्व की बैठकों की सिफारिशें पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की तथा कोयला खानों में सुरक्षा मानदंड और पेशागत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुरक्षा से संबद्ध मुद्दों तथा दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए की गई कार्रवाई योजना पर चर्चा की।

प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीः

1. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि विस्फोटक मैगजीनों का सुरक्षा कवरेज को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ।
2. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सभी कोयला उत्पादक कंपनियों में ठेके के कामगारों के लिए पेशेगत स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं ।
3. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सभी आवश्यक कदम कोयला कंपनियों द्वारा समुचित सुरक्षा पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए सांविधिक जनशक्ति में कमी को पूरा करने के लिए उठाएं जाएं ।
4. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में स्थापित सतह नियंत्रण प्रकोष्ठों को और अधिक मजबूत बनाया जाना है ।
5. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सुरक्षा संबंधी व्यय की मानीटरिंग नियमित रूप से आबंटित निधियों के वेहतर उपयोग के लिए प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं ।
6. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि स्थायी समिति में सभी कैप्टिव कोयला खान कंपनियों के आमंत्रण से संबंधित मुद्दे का परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है ।

10. खान बंद करने के लिए दिशानिर्देश

खनित क्षेत्रों का यथासंभव प्राथमिक स्तर तक पुनरूद्धार करने के उद्देश्य से, खान बंद करने की योजना तैयार करने को अनिवार्य बनाने को निर्णय लिया गया है जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने कोयला खान स्वामियों द्वारा अपनाए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे कोयला खनन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। ये दिशा निर्देश इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

11. निष्पादन मूल्यांकन और मानीटरिंग प्रणाली (पीईएमएस)

निष्पादन की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना मंत्रिमण्डल सचिवालय के तत्वावधान में कोयला मंत्रालय में 2009–10 में शुरू की गई थी। मंत्रालय के निष्पादन का मूल्यांकन परिणाम ढांचा संबंधी दस्तावेज (आरएफडी) 2011–12 के आधार पर 2011–12 के लिए किया गया था। 2012–13 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणाम ढांचा दस्तावेज, विनियमित विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की समुचित आपूर्ति, कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से विकास और उत्पादन, संसाधनों के अन्वेषण पर बल, कोयला धुलाई क्षमताओं में वृद्धि, खानों में सुरक्षा संबंधी स्थितियों में सुधार, कोलफील्ड क्षेत्रों में रेल और सड़क अवसंरचना का विकास और अन्य नीतिगत मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन और कोयला उठान, एनएलसी द्वारा लिग्नाइट उत्पादन और विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना की प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य से, मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था।

12. परामर्शदात्री समिति

कोयला मंत्री की अध्यक्षता में 2008–09 में कोयला मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया जिसमें लोक सभा के 23 और राज्य सभा के 6 सदस्य थे। इस अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन नीति, कोयला क्षेत्र में पर्यावरणीय एवं वानिकी स्वीकृति तथा कोयला उत्पादन बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए की गई ।